न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 115/2016 प्रार्थना पत्र

1. एजाज मोहम्मद पिता अलादीन मंसुरी मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. इस्हाक मोहम्मद पिता अलादीन मंसुरी मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।
2. नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री सहादत अली, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित
श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, उपस्थित
पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.01.2021

Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा निम्बाहेड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नं. 1888 रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 1890 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। सेटलमेण्ट से पूर्व इसन दोनों आराजी के नम्बर 1415 रकबा 7 बिस्वा थे जिनमें से 1415मीन व 2407/1415 बने क्योंकि आराजी नं. 1415 में से 2 बिस्वा कुल 350 वर्ग गज भूमि प्रार्थीगण ने कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपन्तरित करवाई थी इसलिए उक्त 2 बिस्वा भूमि के आराजी नं. 2407/1415 हुए तथा 5 बिस्वा के आराजी नं. 1415 मीन हुए। सेटलमेण्ट उपरान्त आराजी नं. 1415मीन के नये नम्बर 1888 रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2407/1415 के नये नम्बर 1890 रकबा 0.0300 हैक्टेयर हुए। प्रार्थीगण ने जो 2 [illegible] भूमि रुपान्तरित करवाई थी वह सहवन से औद्योगिक क्षेत्र [illegible] कर लिये गये जबकि यह आराजी भी प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में [illegible] होनी चाहिए थी। निम्बाहेड़ा की पुरानी आराजी नं. 1415 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी नं. 1416 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पूर्व में नोला पिता किसना गाडरी निवासी निम्बाहेड़ा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। पूर्व में निम्बाहेड़ा– छोटीसादड़ी सड़क नहीं थी जो सन् 1963–64 में बनाई गई। उस समय नोला गाडरी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:35 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नं. 1415 में से 6 बिस्वा आराजी एवं आराजी नं. 1416 में से 10 बिस्वा आराजी सड़क हेतु सरकार द्वारा ली गई थी। इस 6 बिस्वा के आराजी नं. 2181/1415 तथा 10 बिस्वा के 2182/1416 रहुए जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सड़क के रूप में दर्ज है। लेकिन उस समय सन् 1964 में राजस्व नक्शे में इसकी तरमीम नहीं हुई। नोला ने अपनी शेष बची हुई आराजी नं. 1415 रकबा 7 बिस्वा तथा आराजी नं. 1416 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि अलादीन पिता हुसैन बक्ष मंसुरी निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय कर दी जो अलादीन की खातेदारी में दर्ज हुई। अलादीन ने आराजी नं. 1415 रकबा 7 बिस्वा में से 2 बिस्वा आराजी आबादी व वाणिज्यिक कन्वर्ट कराई जिसके नम्बर 2407/1415 हुए जो सहवन से आबादी व वाणिज्यिक के बजाय राजकीय दर्ज हो गई। अलादीन का देहांत हो चुका है इस कारण से अलादीन की आराजीयात उनके पुत्रों प्रार्थीगण के नाम आई। नवीन सेटलमेण्ट में आराजी नं. 1415 मीन रकबा 5 बिस्वा के नये आराजी नं. 1888 रकबा 0.0600 हैक्टेयर और जो आराजी कन्वर्ड हुई थी उसके आराजी नं. 1890 रकबा 0.0300 हैक्टेयर हुआ तथाा आराजी नं. 1416 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के नये आाजी नं. 1891 रकबा 0.5600 हैक्टेयर हुआ। इसी प्रकार सड़क की आराजी नं. 2181/1415 रकबा 6 बिस्वा के नये आराजी नं. 1889 रकबा 0.0700 हैक्टेयर हुए तथा आराजी नं. 2182/1416 रकबा 10 बिस्वा के नये आराजी नं. 1892 रकबा 0.1300 हैक्टेयर हुए। इस प्रकार आराजी नं. 1889 एवं 1892 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सड़क दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व रेकार्ड में गलती से आबादी भूमि नगरपालिका दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करते हुए बिलानाम सड़क दर्ज किया जाना उचित है। नये सेटलमेण्ट में यह आराजीयात नक्शे में तरमीम करते हुए उत्तर से दक्षिण जहां सड़क बनाई गई वहां दर्ज होना चाहिए परन्तु गलती से नक्शे में जहां प्रार्थीगण की आराजीयात 1888, 1890, 1891 एवं 2579/1891 हैं वहां पूर्व पश्चिम गलत दर्ज कर दी गई। पुरानी आराजी नं. 1415 हमेशा से सरकारी रास्ता भूमि है जो रास्ता मण्डी चौराहा–छोटीसादड़ी रोड़ से पूर्व की ओर इन्द्रा कालॉनी, दशहरा ग्राउण्ड की ओर जाता है और रास्ते तथा प्रार्थीगण की आराजीयात के बीच में अन्य कोई भूमि नहीं है परन्तु वर्तमान सेटलमेण्ट में प्रार्थी की आराजी नं. 1888 एवं 1890 के उत्तर में रास्ते के पास आराजी नं. 1889 रकबा 0.0700 हैक्टेयर आबादी भूमि नगरपालिका दर्ज कर दी गई है तथा नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपर्युक्तानुसार साबिक रेकार्ड एवं हाल रेकार्ड में आए अन्तर को दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नगरपालिका निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के कथनों को अस्वीकार किया तथा स्पष्ट आदेश के अ[illegible] भूमि को कन्वर्ट होने का कथन अस्वीकार किया, बिलानाम भूमियों को [illegible] के स्वामित्व व आधिपत्य की बताते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज [illegible] जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि साबिक आराजी नं. 1415 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी नं. 1416 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की थी जिसमें से नामान्तरकरण संख्या 304 से आराजी नं. 1415 में से 6 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

बिलानाम सड़क (नये नम्बर 2181/1415) तथा आराजी नं. 1416 में से 10 बिस्वा (नये नम्बर 2182/1416) बिलानाम सड़क दर्ज हुए। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 379 से आराजी नं. 1415 रकबा 7 बिस्वा तथा 1416 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा अलादीन पिता हुसैन बक्ष पिंजारा के नाम दर्ज हुई। बाद में विरासत से यह भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। आराजी नं. 1415 रकबा 7 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि (350 वर्ग गज) जिसके नये नम्बर 2407/1415 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दर्ज हुई। आराजी नं. 1415 व 1416 में से बिलानाम सड़क के लिए दोनों आराजी के पश्चिम दिशा की ओर से अवाप्त की गई थी बाकी शेष भूमि में से 2 बिस्वा भूमि सड़क से लगती हुई वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाई गई थी। एवं इसके पीछे की आराजी नं. 1415मी रकबा 5 बिस्वा खातेदारी में शेष रही। वर्तमान राजस्व नक्शे में पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार गलत तरमीम की गई है एवं नामान्तरकरण संख्या 304 से जो बिलानाम सड़क के रूप में भूमि अवाप्ति की गई थी वह नामान्तरकरण संख्या 1377 से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/रीडर/आबादी/87/861, दिनांक 04.09.1987 से नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त बिलानाम, रास्ता, रेछा, नाली, भटवेड आदि भूमियां नगरपालिका के नाम आबादी प्रयोजनार्थ दर्ज हुई। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1377 से दोनों आराजी नं. 2181/1415 एवं 2182/1415 आबादी नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज होकर किस्म सडक यथावत रखी गई है जिसका जमाबन्दी में अमल करने पर सहवन से किस्म आबादी दर्ज हो गई और तभी से यथावत गे.मु. आबादी चली आ रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। साथ ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रस्तावित संशोधन से किसी भी खातेदार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होकर रकबे में कोई कमी बेशी नहीं होगी।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 79, खाता संख्या 1, नक्शा ट्रेस पुराना, मिलान क्षेत्रफल, नवीन नक्शा ट्रेस ग्राम निम्बाहेड़ा, नकल जमाबन्दी संवत2033-36 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 19, नकल जमाबन्दी संवत 2039-42 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 32, जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़ के संपरिर्वतन आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 1976 की छायाप्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2058-61 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 94, नामान्तरकरण संख्या 1385 ग्राम निम्बाहेड़ा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने प्रत्युत्तर के साथ नवीन नक्शा ट्रेस व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है जबकि नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा कोई रेकार्ड अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। [illegible] ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है जबकि विद्वान अधिवक्ता नगरपालिका ने नगरपालिका के खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की कमी बेशी किये बिना मौका स्थिति अनुसार नक्शे में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण आरम्भ से ही इसी स्थान पर काबिज हैं, पुराने नक्शा ट्रेस में सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकन किया गया था जो मौका स्थिति अनुसार है परन्तु सेटलमेण्ट उपरान्त गलत तरमीम कर दी गई है। सड़क अपनी जगह स्थित है जिसे नक्शे में गलत दर्शा दिया गया है तथा प्रार्थीगण की सम्परिवर्तित भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्शा दिया गया है जो त्रूटिपूर्ण है। बहस पर मनन करने तथा मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक रेकार्ड एवं नवीन रेकार्ड में स्पष्टतया अन्तर है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा जो राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित लैण्ड रेकार्ड आफिसर हैं, ने भी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए मौका स्थिति एवं पुराने रेकार्ड के आधार पर संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निम्नलिखित सारिणी एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	1888	0.06	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर	1888 में से पूर्व	0.03	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर
				1888 में से मध्य	0.015	बिलानाम सरकार वाणिज्यिक
				1888 में से पश्चिम	0.005	नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म सड़क
2	1889	0.07	नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म आबादी	1889 में से पूर्व	0.03	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर
				1889 में से मध्य	0.015	बिलानाम वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
				18[illegible] में [illegible]श्चिम	0.005	नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म सड़क
3	1890	0.03	बिलानाम सरकार औद्योगिक प्रयोजनार्थ	[illegible]90	0.06	नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:35 IST
Reason: SelfAttested

4	1891मी	0.41	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर	1891 में से पूर्वी 1891 में से पश्चिम	0.31 0.10	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म सड़क
5	2579/ 1891	0.15	मोहसीन अहमद पिता एजाज मोहम्मद मुसलमान, पिंजारा, नि. निम्बाहेड़ा	2579/ 1891 में से उत्तरी 2579/ 1891 में से दक्षिणी	0.10 0.05	एजाज मोहम्मद, इशाक मोहम्मद पिता अलादीन (पिंजारा) मुसलमान सा. देह रहन बदस्तुर मोहसीन अहमद पिता एजाज मोहम्मद मुसलमान, पिंजारा, नि. निम्बाहेड़ा
6	1892	0.13	नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म आबादी	1892 में से पूर्वी 1892 में से पश्चिमी	0.10 0.03	मोहसीन अहमद पिता एजाज मोहम्मद मुसलमान, पिंजारा, नि. निम्बाहेड़ा नगरपालिका निम्बाहेड़ा किस्म सड़क

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा